रेक का प्रयोग किया जाता है और शेष बोगियों को हाथों से धकेला जाता है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक बोगी में 22 टन और 3 किंवटल तक माल लादने के नियम का उल्लंघन करके एक बोगी में 36 से 40 टन तक माल लादा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रेलगाड़ी पटरी से उतर सकती है;

(ग) क्या उस कांटे (वे ब्रिज) का जो रेलवे द्वारा 18 महीने पहले लाया गया था, प्रयोग नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन बातों की कोई जांच की गई है और जांच का क्या परिणाम रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० सु० पुनाचा) : (क) और (ख). सवाई माधोपुर और फालौदी खदान के बीच चूना-पत्थर रेक में दो इंजिन लगते हैं—एक आगे और एक पीछे। फौलादी साइडिंग में मालडिब्बों को लेजा कर खड़ा करने तथा वहां से उन्हें हटाने के लिए इन्हीं दोनों इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रेकों में केवल चौपहिये मालडिब्बे लगते हैं। इसलिए प्रश्न में उल्लिखित बोगी माल डिब्बों का आशय स्पष्ट नहीं है। अतः एक बोगी मालडिब्बे में 36 से 40 टन तक माल लादने का सवाल नहीं उठता। हां, यह हो सकता है कि साइडिंग में लदे मालडिब्बों को, हाथ से शंट करके किसी सुविधाजनक स्थान पर इकट्ठा किया जाता हो, ताकि बाद में उन्हें इंजन ले जाये। लेकिन जब एक बार रेक फालौदी खदान पर पहुंच जाता है, तो उसकी शंटिंग चूना-पत्थर रेकों के इंजन से की जाती है।

(ग) चौकी-तुला का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है; क्योंकि बाद में किये गये निर्णय के अनुसार इसकी बनावट और यार्ड के ढांचे में कुछ परिवर्तन आवश्यक है ताकि चौकी-तुला में बड़ी और मीटर-दोनों लाइनों के मालडिब्बे तोले जा सकें। जुलाई, 1965 में प्राप्त की टन क्षमता वाली एक चौकी-तुला लगायी जा रही है।

(घ) एक माननीय सदस्य का इस आशय का पत्र मिलने पर, जिसमें प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित बातों में अलावा यह बात भी कही गयी है कि सवाई माधोपुर के जयपुर उद्योग लि० ने कुछ अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से रेल अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया है, मामले को केन्द्रीय खुफिया जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

इण्डियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन के कर्मचारी

3393. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह अयरवाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन के कर्मचारी कुछ समय से आन्दोलन करते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री जे० सु० पुनाचा): (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों ने नीचे लिखी मांगें पेश की हैं:

(1) वर्तमान नियमों के अनुसार, 110–180 रुपये के क्लर्क ग्रेड से 130–300 रुपये के क्लर्क ग्रेड में पदोन्नति के समय

जो लिखित परीक्षा पास करनी पड़ती है उसे समाप्त कर दिया जावे ।

(2) कार्यालय के कार रिकार्ड सेक्शन में इस समय प्रति क्लर्क प्रतिदिन 540 माल डिब्बे दर्ज करने का कोटा निर्धारित है । इस दैनिक कोटे को कम किया जाये ।

(3) सहायक अधिकारियों द्वारा अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत कर्मचारियों को दी गयी सभी सजाएं रद्द की जाये ।

(ग) भारतीय रेल सम्मेलन प्रशासन ने इस मामले पर विचार किया है और उसे ऊपर मद (1) और (3) में उल्लिखित मांगों का कोई औचित्य दिखायी नहीं दिया । जहां तक उपर्युक्त मांग (2) का संबंध है, 10-5-67 को भारतीय रेल सम्मेलन यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में भारतीय रेल सम्मेलन के अध्यक्ष एक कार्य-अध्ययन कराने और कार्य-अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार दैनिक कोटे में संशोधन करने के लिए राजी हो गये हैं ।

Issue of Licences to Birla Group of Firms

3399. **Shri Madhu Limaye:**
Shri S. M. Joshi:

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the House of Birlas adopted a deliberate policy of pre-empting licensable capacity;

(b) whether it is a fact that nearly half of the licences granted to Birlas have remained unutilised and whether this has resulted in shutting out other entrepreneurs from industrial development; and retarding industrial growth;

(c) whether any penalties have been imposed on the House of Birlas; and

(d) if so, the nature thereof?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (d). Presumably, the question has a bearing on certain observations made in the Interim Report on Industrial Planning and Licensing Policy by Dr. R. K. Hazari. This report is still under consideration. However, Government have decided to appoint an Expert Committee of non-officials to enquire into the working of the industrial licensing system during the last ten years to examine, *inter alia*, whether large industrial houses have, in fact, secured undue advantage over other applicants, to what extent the licences issued to such houses have been actually implemented and whether the failure to do so has resulted in the pre-emption of capacity and the shutting of other entrepreneurs. Further action would depend on the findings of the Committee.

Titanium Plant in Kerala

3400. **Shri P. K. Deo:**
Shri K. P. Singh Deo:
Shri Dhirendranath:

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether a Titanium Plant is coming up in Kerala and whether licence has been given for the same;

(b) the estimated cost of the plant and the foreign exchange involved;

(c) the purpose for which Titanium is used and how much is imported to this country; and

(d) how much foreign exchange will be saved by this indigenous manufacture?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Two proposals had been